ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in April 2025

''मनरेगा योजना का ग्रामीण जन–जीवन पर सामाजिक, आर्थिक प्रभाव''

नेहा सिंह, शोधार्थिनी, राजनीति विज्ञान विभाग, दी. द. उ. गोरखपुर वि. वि., गोरखपुर

शोध सार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक अधिकार आधारित माँग सम्बन्धित और स्वयं रोजगार चयन की योजना है, जो रोजगार पैदा करने की दिशा में भारत के प्रयासों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन का साक्षी है। मनरेगा भारत सरकार का एक प्रमुख बेरोजगारी–उन्मूलन अधिनियम है, जो सीधे–सीधे गरीबों की जिंदगी से जुड़ा है और स्थायी विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। विश्व में भारत प्रथम देश है जिसने ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित करके गरीबी दूर करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी–बिल पारित कर रोजगार को कानूनी अधिकार की मान्यता प्रदान की है। इसका अनुपालन नहीं होने पर दंड देने का भी प्रावधान है। मनरेगा योजना में अनेक चुनौतियाँ और बाधाएं भी है। इसकी प्रमुख चुनौतियों में भष्टाचार और मजदूरी भुगतान में देरी, कार्यो के चयन में पारदर्शिता लाने में कमी, योजना की सम्पूर्ण जानकारी का आभाव आदि को सक्रिय पाया गया। इसके विकास के लिए तकनीकी निगरानी का विकास, सामाजिक अंकेक्षण, और डिजिटल भुगतान की प्रणाली को और अधिक मजबूत करना आवश्यक है।

मुख्य शब्द– मनरेगा योजना, ग्रामीण जन–जीवन, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव।

1.भूमिका–

भारतीय ग्रामीण समाज सदैव से न केवल देश में वरन् वैश्विक आकर्षण का केंद्र रहा है। गाँवों का सरल, शांत, सामाजिक–आर्थिक जीवन प्राचीन समय से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है। इसी सन्दर्भ में **अंद्रिबेते** लिखते हैं कि– "गाँव केवल वह स्थान नहीं है, जहाँ लोग रहते हैं, यह वह अभिकल्पना है जिसमें भारतीय सभ्यता के आधारभूत मूल्य दिखाई देते हैं।" जबकि राजनीतिक विचारक **रॉबर्ट चेम्बर्स** ने ग्रामीण विकास की व्याख्या करते हुए कहा है कि– "ग्रामीण विकास एक ऐसी रणनीति है जो समूह विशेष के लोगों, ग्रामीण गरीब पुरूषों एवं स्त्रियों को समर्थ बनाती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनतम लोगों को आजीविका प्राप्त करने में सहायता मिलती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में माँग बढ़ती है और विकास का लाभ लघु तथा सीमान्त किसानों के साथ–साथ भूमिहीनों तक पहुँचता है।" गॉवों के विकास के उद्देश्य के लिए केन्द्र और प्रान्तीय सरकारों ने कई कदम उठाये है, जैसे **रायल कमींशन ऑन एग्रीकल्चर प्रतिवेदन 1928, भारत सरकार अधिनियम 1935, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना 1957, बलवन्त राय मेहता कमेटी का गठन 1957, पंचायती राज का गठन 1959** (24 अप्रैल 1993 से प्रभावी)आदि की स्थापना की गयी। देश और समाज के आर्थिक विकास की कुंजी, रोजगार को माना जाता है। जिस राष्ट्र में रोजगार पाने वालों की संख्या और उनकी आमदनी में जिस गति से बढ़ोत्तरी होती है। ठीक उसी गति से देश विकास के पथ पर अग्रसर होता है। इस समस्या से निपटने के लिये भारतीय सरकार ने ग्रामीण रोजगार को कानूनी गारंटी का स्वरूप देने और मजदूरों का न्यायोचित अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा **नरेगा योजना** को 7 सितम्बर 2005 को अधिसूचित किया। देश में ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में उठाए गए एक कदम के रूप में पारित इस कानून का **क्रियान्वयन 2006** में किया गया। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम **(नरेगा) का नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया।**ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम द्वारा अशिक्षित एवं अर्द्धप्रशिक्षित मजदूरों का ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में काम न मिलने की दशा में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का भी प्रावधान भी किया गया है। विभिन्न विद्धानों ने भी मनरेगा की समीक्षा की है। जैसे **ओम प्रकाश शर्मा,** ने अपनी पुस्तक **''ग्रामीण समाज में नियोजित सामाजिक परिवर्तन'' (2004)** में मनरेगा द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक विकास के मापदण्डों का विस्तार से विवेचना किया। और **डी0सी0, पन्त** ने **''भारत में ग्रामीण विकास'' (2002)** पुस्तक में कहा है किमनरेगा के अंतर्गत लगातार व्यक्ति के कार्य दिवसों के बढने से रोजगार की सृजन बढ़ा है। जिसके कारण परिवारों की मासिक आय में वृद्धि आयी है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण और संसाधन विकास के कार्य किए गये। जिसके कारणग्रामीण जन–जीवन के सामाजिक, आर्थिक विकास सम्भव हो सका है।

2. ग्रामीण जन–जीवन–

ग्रामीण जन–जीवन से तात्पर्य देश के गॉवों में निवास करने वाले लोगों के जीवन से होता है। इसमें उन लोगों की जीवन शैली, सामाजिक संरचना, आर्थिक गतिविधियॉ, परम्पराएं, रीति–रिवाज, रहन– सहन, आजीविका के साधन आदि शामिल होते है। ग्रामीण जन–जीवन की प्रमुख विशेषताओं में कृषि आधारित जीवन, पशुपालन और खेती से जुड़ी गतिविधियॉ, सरल और शान्त जीवन शैली, प्रकृति पर अधिक निर्भता, समाज में आपसी सहयोग, मजबूत सामाजिक बन्धन, सीमित संसाधन और सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली जैसी उपयोगी सुविधाओं का बहुत कम होना, परम्परागत सोच और पिछड़ा रीति–रिवाज आदि का बाहुल्यता पायी जाती है। अतः भारतीय ग्रामीण जन–जीवन राष्ट्र का अहम् हिस्सा माना जाता है, जो देश की संस्कृति, परम्परा और अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है।

3. मनरेगा का सामाजिक प्रभाव–

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) भरत सरकार की एक ऐसी योजना जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना है। अगर इसके **सामाजिक प्रभावों** पर दृष्टिपात करे तो इसके द्वारा ग्रामीण श्रमिकों को सम्मान और सुरक्षा प्राप्त होती है, क्योकि मनरेगा योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया है। साथ ही इससे उन्हें गाँव में ही काम प्राप्त हो जाता है। इससे ग्रामीण पलायन को रोका जा सकता है। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को कार्यबल में भागीदार बनाकर महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता में बढ़ोत्तरी की है, जिसके कारण ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक विकास मजबूत हुआ है। इतना ही नहीं मनरेगा योजना ने समाज के सबसे वंचित तबकों जैसे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या में कमी आती है। साथ ही यह योजना महिलाओं को रोजगार प्रदान करने में मद्द करती है, जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है ओर वे परिवार के आर्थिक ताने–बाने में सक्रिय भागीदार बनती है। इतना ही नहीं इस योजना के तहत किये जाने वाले कार्यो जैसे तालाब खुदाई, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण आदि से ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार होता है। यह योजना परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा में वृद्वि करती है। साथ ही उन परिवारों जो कृषि या अन्य अर्ध–स्थायी रोजगार पर निर्भर होते है, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यकताएं पूरी कर सकते है।

4. मनरेगा का आर्थिक प्रभाव–

मनरेगा योजना ने ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह न केवल गरीबी उन्मूलन में सहायक सिद्ध हुई है,बल्कि ग्राम स्तर पर विकास को भी गति प्रदान की है। यदि इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जबाबदेही सुनिश्चित की जाए, तो यह योजना ग्रामीण भारत के विकास की रीढ़ बन सकती है। जबकि मनरेगा के आर्थिक प्रभावों के अध्ययन में ज्ञात होता है कि मनरेगा से आय में वृद्वि, स्थानीय बाजारों को बल, कृषि एवं बुनियादी ढाँचे में सुधार, ग्रामीण पलायन में कमी आदि से परिलक्षित होता है। क्योकि मनरेगा के द्वारा ग्रामीण परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्वि हुई है। जिससे उनकी क्रय शक्ति में सुधार हुआ है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आशातीत गति आयी है। इसी कारण स्थानीय उत्पादों और सेवाओं की माँग बढ़ी है। गाँव के बाजार सक्रिय हुए और छोटे व्यापारियों को लाभ प्राप्त हुआ है। मनरेगा के अर्न्तगत जल संरक्षण, सिंचाई, सड़क निर्माण आदि कार्यो से कृषि उत्पादन में सुधार हुआ है। इससे कृषि पर निर्भर परिवारों की स्थिति भी बेहतर हुई है। साथ ही पलायन रोकने के लिए रोजगार का सृजन हुआ। जिसके कारण सामाजिक विघटन और शहरी झुग्गियों की समस्याओं में भी कुछ हद तक कमीं आई है। मनरेगा योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देती है, जिससे स्थानीय बाजारों में खरीद–फरोख्त बढ़ती है और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। आय में वृद्वि से रोजगार संभावित रूप से ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्वि करते है, जिससे उनकी जीवन स्तर में सुधार होता है। बुनियादी ढाँचे में सुधार करने के लिये ग्रामीण ढ़ाँचे का विकास किया जाता है। साथ ही वित्तीय समावेशन भी करती है। मनरेगा से प्राप्त धन से ग्रामीण परिवार वित्तीय सेवाओं जैसे बैकिंग, बचत, निवेश का उपयोग कर सकते है, जिससे आर्थिक स्थिरता का निर्माण होता है। इतना ही नहीं यह योजना पर्यावरण संरक्षण तथा संसाधन प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि जल संरक्षण और भूमि सुधार आदि।

5. शोध निष्कर्ष–

निःसंदेह मनरेगा योजना ने ग्रामीण जन–जीवन के सामाजिक, आर्थिक स्तर पर प्रभाव डाला है।शोधार्थिनी

ने शोध अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका का आकलन करते हुए पाया कि ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ–साथ मनरेगा से ग्रामीण लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषकयुक्त भोजन में बदलाव के साथ–साथ उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को भी प्रभावित किया है।जनपद के अन्य क्षेत्रों पर नजर डालने से भी स्पष्ट हो जाता है कि मनरेगा ने ग्रामीण जन–जीवन को प्रभावित किया है। जिससे उनमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पोषक भोजन, संचार आवास, परिवहन के विकास के साथ– साथ बैंक और डाकघर की बचत योजनाओं में सक्रिय भागीदारी में सहभागिता करने का अवसर प्रदान किया है। इतना ही नही मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम करने और सुनिश्चित रोजगार के द्वारा गरीबी दूर करने का सराहनीय प्रयास भी सतत् जारी है।

संदर्भ सूची

1. डॉ0 सी0पी0 जोशी : नरेगा : सफाजा से आगे देखने की जरूरत, कुरूक्षेत्र 2009.
2. भार्गव, प्रदीप : ग्राम समाज के खिलाफ मनरेगा, अमर उजाला, देहरादून, 30 अप्रैल, 2013.
3. रविशंकर : मनरेगा में पारदर्शिता का पुराना सवाल, सहारा, देहरादून, 25 सितम्बर 2010.
4. अरोड़ा, वेदप्रकाश : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, कुरूक्षेत्र, मई 2006.
5. पुणताम्बेकर, जी.एल., नेमा, डी.के. : ग्रामीण गरीबों को रोजगार की गारंटी, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, मई 2005.
6. पंडित, कामेश्वर एवं अखिलेश कुमार पंडित : रोजगार गारंटी कानून, ग्रामीण नियोजन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, मई 2005.